रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032024-253459
CG-DL-E-30032024-253459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946
No. 222]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. ए-12(11)5/2024- स्था.I (3).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (xxi) और धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अपर आयुक्त भर्ती विनियम, 2017 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अपर आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (अपर आयुक्त) भर्ती विनियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **निरर्हता-**ऐसा कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकते हैं ।

5. **शिथिलता प्रदान करने की शक्ति-**जहाँ महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से अनुमोदन से तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं ।

6. **व्यावृति-**इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अपर आयुक्त	25*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13क (रू. 1,31,100 – 2,16,600)	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताए	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले वह श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।
(11)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रु. 1,23,100 – 2,15,900) में क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क अथवा निदेशक के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय-समय पर अपर आयुक्त के पद के लिए प्रोन्नति के लिए आज्ञापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो। **टिप्पण 1 :** जहाँ प्रोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, परंतु अपनी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक और स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/अनुसंधान संस्थाओं के अंतर्गत अधिकारीः- क. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 (रु. 1,23,100 – 2,15,900) में अथवा उसके समकक्ष में दो वर्ष की नियमित सेवा; और ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) वित्तीय अथवा प्रशासनिक मामलों अथवा सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा श्रम विधि से संबंधित कार्य में तेरह वर्षो का अनुभव। **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित पद में अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया: पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) का संघटन: (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; (2) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य; (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम – सदस्य.	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

डॉ. राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./884/2023-24]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

No. A-12(11)5/2024-Estt. I.(3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) of section 97 read with sub-section (2A) of that section and clause (a) of sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Additional Commissioner Recruitment Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Additional Commissioner in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Additional Commissioner) Recruitment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.—**The number of post, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.—**Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may with the approval of Chairman of the Employees' State Insurance Corporation after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing

and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6**.** **Savings.—**Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Additional Commissioner	25*(2023) *(Subject to variation dependent on workload.)	Not applicable	Level -13 A in the Pay Matrix (Rs 1,31,100 – 2,16,600)	Selection Post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)	(11)
Not Applicable	By promotion failing which by deputation including short-term Contract.	By promotion: Regional Director Grade A or Director in Level 13 in the Pay Matrix (Rs.1,23,100-2,15,900) with two years regular service in the grade and having completed mandatory training program for promotion to the post of Additional Commissioner as conducted by the Employees State Insurance Corporation from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation (including short-term contract): Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or recognised Universities/ institutes/ research institutions:

		a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two year's regular service in post in Level 13 in the pay matrix (Rs. 1,23,100 -2,15,900) or equivalent in the parent cadre or department and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree from a recognised University/Institute; and (ii) thirteen years experience in financial or administrative matters or dealing with social security scheme or labour law. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. **Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (2) Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member; (3) Director General , Employees' State Insurance Corporation. – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

Dr. RAJENDRA KUMAR, Dir. General

[ADVT.-III/4/Exty./884/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.30 15:41:34 +05'30'